

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- एफ3(ख)ए-1339/2013/अलेसे-II/885

दिनांक :- 5-10-2023

कार्यालय आदेश

श्री अरुण वर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II (लिंक नं. 11853) कार्यालय कार्यकारी निदेशक, राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड, जयपुर को निम्न परीक्षाओं में प्रविष्ट होने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	नाम परीक्षा	सत्र/वर्ष	आयोजक संस्था
1	एम.कॉम. (प्रिवियस) (ई.ए.एफ.एम.) (स्वयंपाठी)	2022-23	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
2	एम.कॉम. (फाईनल) (ई.ए.एफ.एम.) (स्वयंपाठी)	2023-24	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

उक्त स्वीकृति राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 के प्रावधानों एवं नियुक्ति आदेश में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त निम्न शर्तों के अधीन होगी :-

- 1 शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
- 2 विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने पर आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- 3 परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के अन्तर्गत परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 4 उक्त स्वीकृति दिये जाने से किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल सकेगा और इस दौरान अन्यत्र स्थानान्तरण किया जा सकता है।
- 5 उक्त स्वीकृति के कारण राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा/ व्यवधान उत्पन्न होने पर यह स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
- 6 परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 7 प्रशासनिक कारणों से उक्त स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकती है।

उक्त आदेश निदेशक महोदय से अनुमोदित है।


(के.जी.गुप्ता)
अति. निदेशक (कार्मिक)

क्रमांक :- एफ3(ख)ए-1339/2013/अलेसे-II/885

दिनांक :- 5-10-2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संबंधित विभाग/ कार्यालय
2. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
3. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. संबंधित कार्मिक


(के.जी.गुप्ता)
अति. निदेशक (कार्मिक)